न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री के0 सी0 वर्मा आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 47/2016/अपील/आर्म्स/बूंदी
दायरा दिनांक 22.8.2016
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

1 प्रेमशंकर आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति कहार निवासी ग्राम झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बूंदी।

....अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी बूंदी जिला बूंदी (राज0)।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री विनय कुमार सक्सेना अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 2.7.2018

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश कमांक न्याय/2016/1331–36 दिनांक 3.5.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।xx

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1556/92 दो नाली टोपीदार बन्दूक सं0 6078 को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर थानाधिकारी गेण्डोली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। थानाधिकारी गेण्डोली ने पत्र कमांकः 4350 दिनांक 31.10.2015 से प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 60/03 धारा 382,323,34 आईपीसी मे दर्ज होकर चालान न्यायिक मजि0 प्रथम वर्ग बूंदी मे पेश किया गया। न्यायालय एडीजे फास्ट ट्रेक नं0 5 बूंदी से दिनांक 26.2.2004 को दोष मुक्त किया गया। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अधीनस्थ कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के जवाब के साथ दोष मुक्त सिद्ध होने संबधी कोई साक्ष्य पेश नही करने व लाईसेन्स 31.12.2004 के बाद से (आठ वर्ष) तक नवीनीकरण नही कराने से लापरवाही इंगित करना मानते हुये थानाधिकारी गेण्डोली द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अभिशंसा नही करने के कारण धारित अनुज्ञापत्र सं0 1556/92 अपीलाधीन आदेश कमांक न्याय/2016/1331–36 दिनांक 3.5.2016 द्वारा रिवोक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील धारा 18 आर्म्स एक्ट मे न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे वस्तुस्थिति के विपरीत तथ्य अंकित करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर त्रुटि की है क्योंकि जिस अपीलार्थी फोजदारी प्रकरण सं0 60/03 मे दोषमुक्त किया गया है उक्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद थे। थानाधिकारी की रिपोर्ट मे ऐसे कोई विपरीत तथ्य, शस्त्र के दुरूपयोग संबधी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अंकित नही है जो लाईसेन्स के नवीनीकरण मे बाधक हो। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो का समुचित परीक्षण किये बिना जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विषय वस्तु नैसर्गिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतो, तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सूचना दिये बिना पारित किया है जिसकी दिनांक 6.7.2016 को जानकारी करने पर ज्ञात हुवा। अतः अपील पेश करने मे हुवा विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाकर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल कर नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई ।xx

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई ।xx

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश आदेश विषय वस्तु नैसर्गिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतो, तथ्यो के विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे आपराधिक प्रकरण सं0 60/03 मे अपीलार्थी दोषमुक्त होने के तथ्य विद्यमान थे। थानाधिकारी की रिपोर्ट आधारहीन है क्योंकि रिपोर्ट मे कोई विपरीत तथ्य अंकित नही है जो लाईसेन्स नवीनीकरण मे बाधक हो। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यो का समुचित परीक्षण किये बिना जेरअपील आदेश पारित किया है जो आधारहीन होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश अपास्त कर लाईसेन्स नवीनीकरण के आदेश प्रदान किया जावे ।xx

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि थानाधिकारी गेण्डोली द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने की अनुशंसा नही की गई है। थानाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे ।xx

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। जेरअपील आदेश दिनांक 3.5.22016 के विरूद्ध अपीलार्थी ने इस न्यायालय मे अपील 8.8.2016 को पेश की है जो मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ का अवलोकन किया गया। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यो के खण्डन मे प्रकरण मे अथवा बहस के दौरान कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे डिले कंडोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। xx

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

6 प्रकरण का गुंणावगुण के आधार पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अधीनस्थ कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के जवाब के साथ आपराधिक प्रकरण 60/03 मे दोष मुक्तसिद्ध होने संबधी कोई साक्ष्य पेश नही करने व थानाधिकारी गेण्डोली द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अभिशंसा नही करने तथा अपीलार्थी द्वारा लाईसेन्स 31.12.2004 के बाद से (आठ वर्ष) तक नवीनीकरण नही कराने से लापरवाही इंगित करना मानते हुये धारित अनुज्ञापत्र सं0 1556/92 अपीलाधीन आदेश कमांक न्याय/2016/1331–36 दिनांक 3.5.2016 द्वारा रिवोक किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख थानाधिकारी गेण्डोली की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को फोजदारी प्रकरण सं0 60/03 मे दोषमुक्त किया गया है। रिपोर्ट मे अन्य ऐसे कोई विपरीत तथ्य अंकित नही है तथा ना ही शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित कोई तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है जो लाईसेन्स के नवीनीकरण मे बाधक हो ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे थानाधिकारी गेण्डोली द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण नही करने की अनुशंसा आधारहीन होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यो का अवलोकन किये बिना अपीलार्थी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ आपराधिक प्रकरण मे दोष मुक्त सिद्ध होने संबधी कोई साक्ष्य पेश नही करने व थानाधिकारी गेण्डोली द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अभिशंसा नही करने के कारण तथा लाईसेन्स 31.12.2004 के बाद से (आठ वर्ष) तक नवीनीकरण नही कराने से लापरवाही इंगित करना मानते हुये धारित अनुज्ञापत्र सं0 1556/92 अपीलाधीन आदेश कमांक न्याय/2016/1331–36 दिनांक 3.5.2016 द्वारा रिवोक करने मे त्रुटि की है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन जिला बूंदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक/न्याय/2016/1331–36 दिनांक 3.5.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय मे विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लाईसेन्स नवीनीकरण आवेदन पत्र के संबध मे पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है। xx

7 निर्णय आज दिनांक 2.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0 सी0 वर्मा)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा